



राजस्थान जिला जज, जयपुर

सु. नं. 693 म. 2023

श्रीमान् राजेश सिंह वर्मा (पु) व्. प्र. सु. अ. नं.

जातिवादी संस्था (५) का कानून संशोधन विभाग  
दिल्ली में है। :-

- ① यह कि मुकदमा (उपरोक्त में रिपोर्ट कमीशन द्वारा जारी किया गया) में जातिवादी संस्था (५) का कानून संशोधन विभाग (पु) व्. प्र. सु. अ. नं. 19-05-2023, जारी किया है।
- ② यह कि उपरोक्त रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि (प्रतिलिपि में अतिरिक्त लोगों के नामों के अभाव में) जारी किया है।
- ③ यह कि उपरोक्त जारी पत्र शीर्षक में है 'जातिवादी संस्था (५) का कानून संशोधन विभाग (पु) व्. प्र. सु. अ. नं. 19-05-2023, जारी किया है'।
- ④ यह कि मुकदमा (उपरोक्त में) से संबंधित सीलिंग का संदर्भ देते हुए अदालत में सुझाव है कि कमीशन रिपोर्ट के साथ जारी किया गया कानून संशोधन विभाग (पु) व्. प्र. सु. अ. नं. 19-05-2023, जारी किया है। अदालत को यह भी उचित है कि ऐसी रिपोर्ट, जो जारी किया जाए कि (जब तक कमीशन रिपोर्ट का निष्कर्ष नहीं है) तब तक (जब तक) में सर्वप्रथम न किया जाए। (जो कि रिपोर्ट के आकस्मिक है)

अतः श्रीमान् (जी) को उचित है कि यह पत्र में जारी किया गया है। अदालत में कोई उचित आदेश पारित रहे तब तक जारी रहे।